

एमपीएस-004 : तुलनात्मक राजनीति : मुद्दे एवं प्रवृत्तियाँ  
(अध्यापक जाँच सत्रीय कार्य)

पाठ्यक्रम कोड: एमपीएस-004  
सत्रीय कार्य कोड: एएसएसटी / टीएमए / 20.11.1  
पूर्णांक: 100

किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर लगभग 500 शब्दों (प्रत्येक) में दीजिए। प्रत्येक भाग से कम से कम दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का है।

भाग - I

1. तुलनात्मक पद्धति क्या है? राजनीति के अध्ययन में तुलनात्मक पद्धति के महत्व और योग्यता का परीक्षण कीजिए।
2. तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में राजनीतिक अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण क्या है? व्याख्या कीजिए कि किस प्रकार इसे राजनीतिक विश्लेषण में लागू किया जाता है।
3. किसी राज्य की आंतरिक कार्यप्रणाली पर वैश्वीकरण के प्रभावों की चर्चा कीजिए।
4. राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रीय पहचान के बुनियादी लक्षणों का वर्णन कीजिए।
5. निम्नलिखित पर लगभग 250 शब्दों (प्रत्येक) में संक्षिप्त लेख लिखिए:  
क) नागरिक समाज और उसका महत्व।  
ख) संविधानवाद।

भाग - II

6. 'दुनिया में कहीं भी गरीबी हर जगह समृद्धि के लिए खतरा है'। टिप्पणी कीजिए।
7. राजनीतिक दल को परिभाषित कीजिए। एक लोकतांत्रिक राजव्यवस्था में राजनीतिक दल का उद्देश्य की पूर्ति करते हैं?
8. पर्यावरणीय बहस में प्रमुख मुद्दों पर विकाराशील देशों की स्थिति का वर्णन और मुख्य मुद्दों का उल्लेख कीजिए।
9. समुदाय क्या है? व्याख्या कीजिए कि क्यों और कैसे 'सामुदायिक पहचान' का निर्मित होना आवश्यक है।
10. निम्नलिखित पर लगभग 250 शब्दों (प्रत्येक) में संक्षिप्त लेख लिखिए:  
क) यूरोप में क्षेत्रीय एकीकरण।  
ख) राज्य का नारीवादी दृष्टिकोण।

MPS - 004

भाग - I

प्रश्न - 3 किसी राज्य की आंतरिक कार्यप्रणाली पर वैश्वीकरण के प्रभावों की चर्चा कीजिए ?

उ० - 3 भूमंडलीकरण उस पूँजीवादी विस्तार को ऐतिहासिक प्रक्रिया का लक्ष्य उभाप है, जिसने यूरोप से आरंभ होकर पूरे विश्व को अपने दायरे में लिया। भूमंडलीकरण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की समाप्ति और नये के कारण आरंभ हुआ तथा सोवियत यूनियन के पतन के बाद विकसित हुआ।

\* भूमंडलीकरण के प्रति दृष्टिकोण - ?

कुछ विद्वानों का कथन है की आर्थिक भूमंडलीकरण सामाजिक और राजनीतिक संगठनों द्वारा अंतरराष्ट्रीय नागरिक समाज तथा राष्ट्र राज्य सरकार के नये-वये रूप उत्पन्न कर रहा है और अन्ततः यह परंपरागत राष्ट्र राज्य का स्थान ले लेगा और यह विश्व समाज का प्राथमिक राजनीतिक इकाई और आर्थिक इकाई का स्थान ले लेगा।

• राज्य के आंतरिक कार्यों पर भूमंडलीकरण का प्रभाव

लोकतांत्रिक निर्णय करता : लोकतांत्रिक व्यवस्था को सर्वोच्चता के कारण राज्य को भी लोकतांत्रिक निर्णय करना पड़ता है पूरी तरह से कोई भी राज्य अंतरराष्ट्रीय



कानून को चुनौती नहीं दे सकता।

संजातीय पुनर्र्थान : वर्तमान समय में संजातीय पुनर्र्थान का भावना का उदय हुआ है इसके कारण सोवियत यूनियन विखर गया और पूर्वी यूरोप के राज्य सोवियत यूनियन की अधिनायकता और अप्रजातांत्रिक दलीय व्यवस्था के कारण इस उसके प्रभाव से मुक्त हुए परंतु सोवियत यूनियन इसलिए भी विखरी की वजह से किमिज तथा अन्य कबीला और जातियों में संजातीय भावना विकसित हो गई।

भारत में भी उत्तरांचल, दिल्ली समेत और आरखण्ड आदि राज्य का निर्माण करना, पूर्वी यूपी भाषा की वृद्धि से इन सभी राज्यों की भाषा हिन्दी थी। और ऐतिहासिक धार्मिक वृद्धि से उत्तरांचल का उत्तर प्रदेश से, दिल्ली समेत को मध्य प्रदेश से और आरखण्ड को बिहार से बाँध महत्वपूर्ण विभिन्नता नहीं था।

ब्रिटेन जैसे पुराने राज्य को र-कॉन्फेड व वॉक्स का स्थानीय अधिकार देने पड़े तथा वहाँ विधानसभाएँ स्थापित करनी पड़ी। युगोस्लाविया चेकोस्लोवाकिया आदि पूर्णतया विखर गए। और श्री लंका में हिंस्रक संघर्ष चल रहा है। सबसे बड़ा बात यह है कि अब आतंकवाद न अंतराष्ट्रीय रूप ले लिया है और इसके दमन के लिए भूमिहीनकरण प्रभावशाली व अवश्यभाव हो गया है। आतंकवाद अब सलेम और मौनिका वेदा के प्रत्यर्पण के लिए भारत को पुतगाल का सहारा लेना पड़ा यद्यपि भी।

प्रकरण के कारण बनना देश के सम्बन्ध में  
 मध्य नहीं है। आतंकवादी एक देश में  
 अपराध करके दूसरे देश में प्रलायन कर  
 जाते हैं। अतः आतंकवादी शक्तिविधियों के घमन  
 और रोकथाम के लिए भी अंतरराष्ट्रीय कानून  
 व भूमंडलीकरण का महत्व बढ़ गया है।  
 अंतरराष्ट्रीय संस्था, विश्व बैंक, एशियन  
 बैंक, इवलुपमेंट बैंक, अंतरराष्ट्रीय परिसूच्य  
 यूनियन और विभिन्न संगठन जैसे यूरोपियन  
 यूनियन, साक, अफ्रीका व दक्षिण  
 अमेरिकी संगठन आदि भी भूमंडलीकरण  
 के लिए सहायक बने हैं तथा विश्व  
 व्यापार संगठन में भूमंडलीकरण का  
 आवश्यक बना दिया परन्तु भूमंडलीकरण  
 में भी शयपूर्ण सम्प्रभुता सम्पन्न है।  
 अतएव भारत पाकिस्तान आदि ने सी. टी. बी.  
 लो. परमाणु निर्षेध संधि आदि पर हस्ताक्षर  
 नहीं किए।

उत्तर कोरिया और ईरान अपनी  
 मनमानी कर रहे हैं यहां तक की ईरान  
 ने इजराइल के अस्तित्व का समाप्त करने  
 की धमकी दे दी। जबकि संयुक्त राष्ट्र  
 संघ के एक सदस्य राष्ट्र द्वारा दूसरे  
 सदस्य राष्ट्र को धमकी देना और विश्व  
 शांति को नष्ट करना पूर्णतः गैर कानूनी,  
 अननुचित और अंतरराष्ट्रीय कानून व  
 संयुक्त राष्ट्राय संघ द्वारा दूसरे  
 संघ के चार्टर का उल्लंघन उल्लंघन है  
 परन्तु राज्य के सम्प्रभुता सिद्धि सिद्धांत के  
 कारण समस्त विश्व को चुपचाप यह  
 सहन करना पड़ा।



यद्यपि सम्प्रभुता सिद्धांत आधुनिक व्यवस्था पर लागू होता है। वंशिक और आंतराष्ट्रीय क्षेत्र में नहीं। अतः यह कहा जा सकता है कि यू.एन.संस्था की सीमित प्रभाव पड़ता है पर संस्था की संप्रभुता पूर्ण रूप से उसकी ही कायम है।

प्र० 5 निम्नलिखित पर लगभग 250 शब्दों (प्रत्येक) में संक्षिप्त लेख लिखिए :

(क) नागरिक समाज और उसका महत्व

(ख) संविधानवाद

उ० 5 (क) नागरिक समाज और उसका महत्व  
 नागरिक समाज के अंतर्गत परिवार के बाहर की वे सभी संस्थाएँ आती हैं, जिन्हें व्यक्ति अपने हितों संविधान के उपदेश से बनाते हैं। इसके अंतर्गत सभी संस्थाएँ विशेषकर स्वयंसेवी संपन्न सामाजिक आंदोलन तथा आविर्जनिक संघार के रूप में सम्मिलित हैं। इसके अंतर्गत मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरिजाघर, रामलीला कमिटी, आर्य समाज, सनातन धर्म सभा तथा जातिगत संस्थाएँ जैसे ब्राह्मण समाज, लोधी समाज, नारी समाज, धर्म शाला, विश्वविद्यालय, अध्यापकों और वकीलों और डॉक्टरों के संगठन तथा वे सभी संगठन आते हैं जो विभिन्न व्यक्ति अपने हितों की रक्षा के लिए बनाते हैं। सारांश रूप में राज्य और सरकार का दायित्व सभी संगठन नागरिक समाज के अंतर्गत आते हैं ये सामाजिक संगठन व्यक्ति और राज्य के मध्य की स्थिति होते हैं इसके अंतर्गत पारिवारिक जीवन तथा आर्थिकता आती नहीं आती है।

नागरिक समाज की उल्लेखनीय विशेषताएँ :-  
 नागरिक समाज व्यक्तिगत या नीचे निजी संबंधों की अपेक्षा आविर्जनिक लक्ष्यों से



संघीयता होता है। नागरिक समाज का लक्ष्य संगठन के रूप में शक्ति ग्रहण न कर बल्कि शक्ति की संरचना में सुधार लाना होता है।

① ऐतिहासिक विकास :- इसका ऐतिहासिक विकास अत्यंत शीघ्रता से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ। वयो की साम्यवादी देशों में राज्य का वर्चस्व था और केवल एक साम्यवादी दल का प्रभुत्व था। अतएव नागरिकों को सामाजिक कार्यों में भाग लेने का अवसर नहीं मिल पाता था। प्रजातंत्रवादी राज्यों में धार्मिक संगठन सामाजिक संगठन कार्य के अनुसार संगठित होते थे। परंतु साम्यवादी राज्यों में इनका रोकना जाता था अतएव जनता में असंतोष उत्पन्न हो गया और यह असंतोष निरंतर बढ़ता ही चला गया। अतएव सोवियत यूनियन तथा उसके अधीन पूर्वी यूरोप के देशों में इतना असंतोष बढ़ा कि वे सोवियत यूनियन से प्रथक हो गए। और सोवियत यूनियन स्वयं 16 देशों में विखर गया। अतएव अब नागरिक समाज का प्रभाव बहुत अधिक माना जाने लगा है।

② प्रमुख अंशदाता :- नागरिक समाज के विभिन्न व्यक्तियों ने और विचारकों ने योगदान दिया है। रोमन साम्राज्य में इसके विकास का आरंभ हुआ।

③ प्रतिफल तत्व :- हॉब्स को लॉक के ने राज्य को सामाजिक समझौते पर आधारित बताया है। हॉब्स ने जीवन की रक्षा और लॉक ने अधिकारों की रक्षा, संपत्ति की रक्षा इनके शीत व्यक्तियों के लिए राज्य के अधिकार का स्वीकार किया है।

अतः इन्होंने नागरिकता की भावना को विकसित किया। प्रेषण राजनीतिक अर्थशास्त्री के एडम. स्मिथ ने राज्य के नागरिक समाज के सिद्धांत को प्रतिपादन किया है। इन्होंने व्यक्तित्व से पालत तथा बाजार को प्राथमिकता देकर नागरिक समाज का विकास किया तथा राज्य की शक्ति की सीमाएँ निश्चित की।

\* नागरिक समाज के बारे में मार्क्स के विचारः

मार्क्स का कथन है कि नागरिक समाज बुजुर्गों के साथ आया तथा उसके अनुसार यह समाज तथा विकास का जड़ है जो जिनका अभिव्यक्ति प्रतिस्पर्धा अर्थवाद और निजीकरण के रूप में होती है। उन वास्तविक मानवता पर आधारित समाज का धारणा प्रस्तुत की है।

\* नागरिक समाज के बारे में ग्रामस्की के विचारः

ग्रामस्की के अनुसार नागरिक समाज वर्चस्व तथा अविपश्य का एक भाग है। जिसमें राजनीतिक तथा सांस्कृतिक दोनों नैतृत्व मिलता है। ग्रामस्की ने नागरिक समाज की भूमिका का महत्व दिया है। उसके अनुसार संस्थाएँ नागरिकों का समाज में व्यवहार के नियमों से परिचित कराती हैं और उन्हें यह शिक्षा देती हैं की शासक वर्ग के प्रति स्वभाविक सम्मान का भाव रखना चाहिए।



(ख)

संविधानवाद : शासकों की निरंकुशता को रोकने के लिए संविधानवाद आरंभ हुआ। इंग्लैंड में इसका आरंभ मैगना कार्टा पिटिशन ऑफ राइट्स और 1688 के बिल ऑफ राइट्स आदि के द्वारा हुई और राजा की निरंकुशता धीरे-धीरे समाप्त हो गई। और संवैधानिक शासन स्थापित हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने विचारों के अनुसार संविधान बनाया और संविधान को सर्वोच्चता प्रदान की। फ्रांस की राज्य प्रांति ने स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व की घोषणा द्वारा विश्व में प्रजातांत्रिक व संवैधानिक शासन को सर्वोपरि और सर्वोत्थापी बना दिया।

\* संविधानवाद का अर्थ - राज्य में किस प्रकार के अधिकार हैं? व्यवस्थापिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के क्या अधिकार हैं? शासन किस प्रकार से संचालित किया जाना चाहिए? किसकी क्या शक्तें और अधिकार हैं? ये सभी वष विषय संविधान के अंतर्गत आते हैं।

संविधान के नमूने -

1. संविधान का ब्रिटिश नमूना - इंग्लैंड का संविधान ऐतिहासिक परंपराओं पर आधारित है। यहाँ का संसद सबसे प्राचीन और सर्वोच्च है। ब्रिटिश संविधान प्रकाशक माना जाता था परन्तु अब स्कॉटलैंड व वेल्स आदि में भी विधानसभाएँ स्थापित हो गई हैं। जिससे ब्रिटेन के प्रकाशक शासन का धक्का लगा है।

अमेरिकी नमूना अमेरिकी शासन संघात्मक अध्यक्षतात्मक शक्ति के प्रथक कारण के सिद्धि और संवैधानिक सर्वोच्चता पर आधारित माना जाता है।

यूरोपिय महाद्वीप की व्यवस्थाएँ : रिपब्लिकन विश्व में सबसे अधिक प्रजातांत्रिक व्यवस्था माना जाता है। क्योंकि यहाँ जनता को प्रथक और शासन में भाग लेने का अधिकार है। जर्मनी में (प्रजातंत्र) चार्लर व्यवस्था को अपनाया है जिसमें चार्लर की नियुक्ति लोकसभा करती है और उसका सहमती राष्ट्रपति देता है। फ्रांस के पाँचवें गणतंत्र में राज्य अध्यक्ष अर्थात् राष्ट्रपति संविधान का संरक्षक होता है। कई देशों में तानाशाही को अपनाया है और कई देशों जैसे नेपाल, साउदी अरब, जाइन्, तथा भूटान में राजतंत्रात्मक व्यवस्था है परन्तु इंग्लैंड और जापान में राजतंत्रात्मक व्यवस्था होते हुए भी संसद को सर्वोच्चता प्राप्त है।

\* संविधान निर्माण में विकासतात्मक भूमिका -

ब्रिटेन की अध्यक्षतात्मक और संघात्मक व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह मानी जाती है तथा फ्रांस जर्मनी संविधानवाद का नमूना माने जाते हैं। चीन की न्यायिक व्यवस्था का सर्वश्रेष्ठ माना जाता है।

\* संविधानवाद व राज्य निर्माण : संविधान मुख्य रूप से राज्य और नागरिक समाज को प्रथक करता है और शासन की निरंकुशता पर रोक लगाता है।



राज्य और नागरिक समाज के धर्म-रस्ल भाषा और शक्ति जाति आत्मनिर्णय और पहचान आदि के कारण अधिकारों की मांग के कारण अशांति व्याप्त है।

कानून का शासन - कानून के शासन के अंतर्गत न्यायपालिका विधि द्वारा, निर्मित कानून द्वारा निर्णय करती है। परंतु जहाँ न्यायपालिका निर्वाचित नहीं है, वहाँ विलम्ब व भ्रष्टाचार का बोलबाला हो जाता है। कानून के शासन के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका की जरूरत होती है।

सेना और नौकरशाही - वर्तमान समय में बहुत से राज्यों में सैनिक सरकार है। जैसे पाकिस्तान म्यांमार आदि। प्रायः सभी देशों में नौकरशाही का बोलबाला है। नौकरशाही राज्य चलाने के लिए अत्यंत आवश्यक है।

शाहीन तथा मध्य युग में जब शासन निरंकुश राजाओं के हाथों में होता था, राज्यों के संविधान नहीं हुआ करते थे। शासक अपनी इच्छानुसार सब कुछ वकलता रहता था। इसलिए इस प्रकार के राज्य के लिए संवैधानिक षष्प का प्रयोग नहीं किया जा सकता। लोकतंत्र में शासन जनता के हाथों में होता था। इसलिए शासक वगैरै स्थायी व निरंकुश नहीं हो सकता।



प्र० 6 दुनिया में कहीं भी गरीबी हर जगह समृद्धि के लिए खतरा है, टिप्पणी कीजिए

उ० 6 निर्धनता : एक वृद्ध दृष्टिकोण - साधारण रूप से जिस व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकता, रोजी कपड़ा और मकान की आवश्यकता पूरी न हो, अर्थात् तथा आपातकालीन परिस्थितियों जैसे रोग आदि की दशा में उपचार आदि के साधन उपलब्ध न हो निर्धन माना जाता है। परन्तु विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने इस संबंध में विभिन्न दृष्टिकोण अपनाये हैं। अथवा अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि जो व्यक्ति न्यूनतम रूप से स्वीकृत विभिन्न आर्थिक तथा गैर-आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति में असफल रहता है, वह निर्धन माना जा सकता है।

अमर्त्य सैन ने मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति न कर पाने को निर्धनता माना है। अकाल की स्थिति में मृत्यु को सभा ने निर्धनता स्वीकार किया है।

निर्धनता और असमानता - निर्धनता और असमानता के बीच अंतर है परन्तु ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। विश्व स्तर पर जिसका आय एक डॉलर प्रतिदिन अर्थात् 365 रुपये से कम है उसे निर्धन माना जाता है।

विकास निर्भरता व असमानता - वैज्ञानिक उपकरणों ने असमानता को बढ़ावा दिया है। अगुए एक कृषक के पास ट्रैक्टर, हल आदि हैं, तो वह धनी है। लेकिन हल बेल व एक वादी जमीन वाला किसान निर्धन है।



इसी प्रकार जिस परिवार के पास बंगला, कार  
टीका, फ्रिज व वाशिंग मशीन, टेलीविजन  
आदि है उसे धनी तथा कार के स्थान पर  
स्कार्, साधारण दार मकान आदि रखने वाले  
को मध्यम वर्ग का और जिसके पास केवल  
आवश्यक बर्तन और साधारण वस्त्र आदि है,  
उन्हें निर्धन माना जाएगा।

विकास के साथ समृद्धि बढ़ती है,  
परन्तु विकास की प्रक्रिया में कुछ व्यक्ति  
अत्यन्त धनी हो जाते हैं; परन्तु असमानता  
के कारण कुछ व्यक्ति अत्यन्त निर्धन हो  
जाते हैं। इस भारत में पांच सितारा होटल  
कारों, डॉक्टरों, इंजीनियरों की संख्या में  
अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, पर दूसरी ओर  
निर्धनता और भुखमरी भी बढ़ी है। कृषक  
निर्धनता के कारण आत्महत्या कर रहे हैं।  
उत्तर पूर्वी राज्यों व. आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़  
व. झारखंड आदि में ~~भुखमरी~~ भुखमरी के कारण  
होने वाली मौतों की संख्या बढ़ रही है।  
क्योंकि यहाँ निर्धन व्यक्ति के पास जीविका के  
साधन नहीं हैं और उन्हें बेकारी भुत्ता  
नहीं मिलता और न ही इस ओर कोई ध्यान  
दिया जा रहा है।

संस्कृत में कहा गया है कि विमुच्यते  
किम न करो पापम्। भूखा मनुष्य को न  
पाप नहीं कर सकता। अतः अपराधा में  
वृद्धि होती जा रही है। भारत में एक ओर  
अत्यन्त संपन्नता तो एक ओर चारु निर्धनता है।  
अतः यह आवश्यक है कि विकास के साथ-साथ  
असमानता को दूर किया जाए।



## भूमंडलीकरण, निर्यात एवं मानव विकास

भूमंडलीकरण के कारण विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व व्यापार संगठन तथा विकसित देशों द्वारा कम विकसित देशों को सुझाव दिया जाता है कि आर्थिक गतिविधियों में राज्य सरकार का हस्तक्षेप कम करें और बाजार की शक्ति को बढ़ती हुई विशाल भूमिका को सुनिश्चित करें। क्योंकि राज्य सरकारों के हस्तक्षेप करने के कारण वस्तुएं महंगी हो जाती हैं तथा नीकरशाही करों द्वारा देश के विकास व गरीबी उन्मूलन के कार्यों को रोक देती हैं।

आर्थिक संस्थान व वन की गतिविधियाँ निर्यात का समाप्त करने में सहायता देती हैं। पहले लोग अनाथालय, यतीमखाना, विधवाश्रम धर्मशाला व निःशुल्क शिक्षा के लिए पाठशाला खोलते थे तथा त्यागियों के अवसर पर हजारों मनुष्यों को जलपान कराते थे, अनेक संभ्रांत परिवारों द्वारा भी त्यागियों पर भूखों का भोजन, निर्यात महिलाओं को साड़ियाँ और जाड में काबल बातें जीते थे। ईसाई मिशनरी भारत में अस्पताल व स्कूल खोलते हैं तथा नर्स व विद्यार्थियों को सक्षम बनाते हैं ताकि आगे चलकर ये शिक्षक नर्स या डॉक्टर बनकर निर्यात को दूर कर सकें। इस्लाम धर्म में आयु का चालीसवाँ दिवस खूरात अर्थात् दान करना धर्म का अंग है तथा अनाथों को सहायता करना असह्य व्यक्तियों की रक्षा करना और भूखों को भोजन देना परम कर्तव्य माना गया है।



भारत में अनुत्पादक कार्य पर केंद्र सरकार का  
उद्यम 70 हजार करोड़ रुपये से भी अधिक है।  
अतः विश्व बैंक द्वारा का कहना है कि भारत  
सरकार अनुत्पादक उद्यम कम करके गरीबी दूर करने  
और मुख्यतः समाप्त करने का प्रयास करे तथा  
शिक्षा और स्वास्थ्य पर उद्यम करके जनता को  
आर्थिक उत्पादन के लिए सक्षम बनाए और देश का  
उन्नति करे। भारत सरकार की नीतियों का  
कारण प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण अपनी भारत  
में निर्यन्ता है। असमानता के कारण  
कुछ लोग खरबपति हैं परन्तु बहुसंख्यक  
जनता निर्धन है। अतः असमानता समाप्त  
करके निर्यन्ता का दूर करने का प्रयास  
किया जाना चाहिए।

प्र० 7 राजनीतिक दल की परिभाषित की जाए। एक लोकतांत्रिक राजव्यवस्था में राजनीतिक दल किस उद्देश्य की प्रति करते हैं?

उ० 7 राजनीतिक दल की परिभाषा - मानव एक विवेकशील प्राणी है और मानव की इस विवेकशीलता के कारण एक ही प्रकार की समुदायों के संबंध में भिन्न-भिन्न व्यक्तियों द्वारा विभिन्न प्रकार से विचार किया जाता है। विचारों की इस भिन्नता के साथ ही साथ अनेक व्यक्तियों में अप्यारभूत बातों के संबंध में विचारों की साम्यता पाई जाती है। विचारों की समानता रखने वाले ये व्यक्ति अपनी समन्वय विचारधारा के आधार पर शासन शक्ति प्राप्त करने और अपनी नीति को कार्यरूप में परिणत करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं और इस उद्देश्य को पूर्ण में रखकर उनके द्वारा जन संगठनों का निर्माण किया जाता है उन्हें ही राजनीतिक दल कहा जाता है। राजनीतिक दल की परिभाषा के संबंध में विभिन्न विचारकों ने विभिन्न मत प्रस्तुत किए हैं -

एडमण्ड बर्क के मतानुसार "राजनीतिक दल ऐसे लोगों का समूह होता है, जो किसी ऐसे सिद्धांत के आधार पर जिस पर वे एकमत हैं अपने सामूहिक मत द्वारा जनता के हित में काम करने के लिए एकता सूत्र में बंधे होते हैं।"

गैटल के अनुसार "राजनीतिक दल न्यूनानाधिक संगठित उन नागरिकों का



समूह होता है, जो राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करती है और जिनका उद्देश्य अपने मतदान बल के प्रयोग सरकार पर नियंत्रण करना व अपनी सामान्य नीतियों को क्रियान्वित करना होता है। गिलकार्डस्ट के शब्दों में "राजनीतिक दल" की परिभाषा उन नागरिकों के संगठित समूह के रूप में की जा सकती है, जो राजनीतिक रूप से एक विचार के हैं, और जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करके सरकार पर नियंत्रण करना चाहते हैं।

इसी प्रकार मैकाइवर के शब्दों में राजनीतिक दल एक ऐसा समुदाय है, जो किसी ऐसे सिद्धांत अथवा ऐसी नीति के समर्थन के लिए संगठित हुआ है, जिससे वह वैधानिक साधनों से सरकार का अधिकार बनाना चाहता है।

\* प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों के कार्य तथा भूमिका - :

- ① लोकमत का निर्माण - : वर्तमान समय में राज्य संबंधी विषय बहुत जटिल हैं और व्यापक होते हैं और साधारण व्यक्ति के लिए इस प्रकार के विचार और कदम समझना संभव नहीं होता है। ऐसी स्थिति में राजनीतिक दल सविज्ञानिक समरथाओं को जनता के सममुख इस रूप में प्रस्तुत करते हैं कि साधारण जनता उन्हें श्रद्धा से समझ सके। जब विविध राजनीतिक दल समरथाओं के संबंध में अपने दृष्टिकोण का प्रतिपादन करते हैं, तो साधारण जनता इन समरथाओं को जली प्रकार

विशिष्टता निर्माण - प्रत्येक सभ्यता  
जाति, पूजाति, नरल  
रंगभेद, लिंग संबंधित भिन्नताओं पर आधारित  
होती है। इस संदर्भ में राजनीति और कुछ नहीं  
केवल कुछ विशिष्ट वर्गों द्वारा शक्ति सीमित  
करने तथा आज्ञा पालन करवाने का मुख्य  
साधन रही है। यह सार्वजनिक कल्याण का माध्यम  
नहीं रही है। दूसरे शब्दों में राजनीति हमेशा  
एक स्वकारात्मक शक्तिविधि नहीं रही अतः  
विशिष्टता निर्माण की प्रक्रिया तथा इसके संरक्षण  
के आधार स्वकारात्मक रहे हैं।

19वीं शताब्दी के सम्राज्यवादी देशों के  
विरुद्ध उपनिवेशवादी विरोध तथा अन्तर्द्वेष में  
पूजातांत्रिक उदारवादी देशों में नागरिक सामाजिक  
अधिकारों के लिए संघर्ष करते हैं। व्यापक  
स्तर पर यह अक्रियता और उपनिवेशवादी देशों में  
राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के रूप में तथा उदारवादी  
देशों में अनेक सामाजिक आंदोलनों जैसे नारी  
मुक्ति आंदोलन, जनतांत्रिक आंदोलन, पर्यावरण  
आंदोलन आदि में रूपरेखा हुई। इन सभी  
आंदोलनों के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं -

(i) किसी भी तरह की आरोपित विशिष्टता का विरोध  
करना तथा

(ii) किसी भी तरह की विशिष्टता संबंधी भिन्नता  
को उचित ठहराना।

इस प्रक्रिया से निकलने वाले संघर्ष, विशिष्टता  
के संघर्ष थे, तथा इन संघर्षों ने कई  
प्रधान समूहों को इस व्यापक विभिन्नता के



समझ कर निर्णय कर सकता है और लोकमत का निर्माण हो सकता है।

(2) चुनावों का संचालन :- जब मताधिकार बहुत सीमित था और निर्वाचकों को संकेतित बहुत कम थी, तब स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ना संभव था, लेकिन अब व्यवस्था मताधिकार के संचालन के कारण स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ना लगभग असंभव हो गया है। इसी स्थिति में राजनीतिक दल अपने दल की ओर से उम्मीदवारों का चयन करके उनके पक्ष में प्रचार करते हैं। चुनाव के समय होने वाला भारी खर्च इन राजनीतिक दलों द्वारा ही किया जाता है। यदि राजनीतिक दल न हों, तो आज के विशाल लोकतंत्रात्मक राज्यों में निर्वाचन का संचालन लगभग असंभव ही हो जाएगा।

(3) सरकार का निर्माण :- निर्वाचन के बाद राजनीतिक दलों के द्वारा ही सरकार का निर्माण किया जाता है। अध्यक्षतात्मक शासन - व्यवस्था में राष्ट्रपति अपने विचारों से सहमत व्यक्तियों की मंत्रिपरिषद् का निर्माण करके शासन का संचालन करता है। संसदात्मक शासन में जिन राजनीतिक दलों की व्यवस्थापिका में बहुमत प्राप्त हो, उनके प्रधान द्वारा मंत्रिपरिषद् का निर्माण करते हुए शासन का संचालन किया जाता है।

(4) शासन सत्ता को मर्यादित करना :- शासन व्यवस्था में बहुसंख्यक राजनीतिक दल के साथ-ही-साथ अल्पसंख्यक राजनीतिक दल, यूपी, विरोधी दल की बहुत अधिक महत्व रहता है।

प्रश्न-9 समुदाय क्या है? व्याख्या कीजिए कि क्या 'आर्य' और 'असमुदायिक पहचान' का निर्मित होती है?

30 9 समुदाय की पहचान की परिभाषा एवं संरचना व्यक्तियों का जो समूह अपनी विचारधाराओं, शक्ति, रिवाजों, वंश या धर्म आदि के आधार पर अपनी विशिष्टता का दावा करके अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश करता है, वह समुदाय की पहचान के अंतर्गत आता है। जैसे - फिलिस्तीनी, मुस्लिम, अरब व यहुदी अपनी पृथक विशिष्टता के आधार पर पृथक पहचान का दावा करता है, समुदाय के अंतर्गत आते हैं। श्रीलंका में रहने वाले तमिल विशिष्टता के आधार पर पृथक पहचान का दावा करते हैं। भिन्नता और विशिष्टता का ज्ञान ही समुदाय पहचान का आधार है।

समुदाय की पहचान के लक्षण - कुछ पहचान स्वभाविक होते हैं, जिन्हें बदला नहीं जा सकता, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका का मूल निवासी। वहाँ यूरोप से आए हुए नवीन नागरिक तथा अफ्रीका से लाये गये हजारों गुलामों में भिन्नता होती है, लेकिन इरान के शिया मुसलमानों व इराक के सुन्नीयों में या फ्रांस के रोमन कैथोलिक तथा प्रोटेस्टेंटों में या इंग्लैंड के प्यूरिटन व पंजिलकन चर्च को मानने वालों के मध्य संघर्ष चल रहा था, जो अब समाप्त हो गया है, क्योंकि उनमें विशिष्टता का अभाव था, परन्तु पाकिस्तान में पश्चिमी पाकिस्तान व पूर्वी पाकिस्तान के मध्य विशिष्टता के संघर्ष के कारण अंततः बांग्लादेश का निर्माण हुआ।



के संदर्भ में सार्वजनिक अंगीकार करने तथा अपनी राष्ट्रियता विशिष्टता को पुनः परिभाषित करने का अवसर प्रदान किया।

विशिष्टता संबंधी भिन्नता को मान्यता दिलाने के संदर्भ में प्रायः तीन प्रकार की मुख्य मांगें निम्नलिखित हैं —

(i) सांस्कृतिक विभिन्नता

(ii) बहुसांस्कृतिक जागरिकता

(iii) बहुराष्ट्रीय संवैधानिक संगठन

पहली प्रकार की मांगें मुख्य रूप से संस्कृति संबंधी विभिन्नता को लेकर हैं। इसका मानना है कि संस्कृतिक क्षेत्र में प्रत्येक समूह को दूसरे समूहों की संस्कृतिक विरासत तथा भिन्नता का आदर करना चाहिए तथा उसे मान्यता भी देनी चाहिए। दूसरी प्रकार की मांगें बहुसांस्कृतिक तथा बहुजातीय जागरिकता हैं। इसका संबंध सामाजिक स्तर पर निजी, सार्वजनिक तथा पब्लिक संस्थाओं में भाग लेना चाहते हैं।

संबंधी तीसरी मांग यह है - बहुराष्ट्रीय अथवा बहुजनवादी संवैधानिक संयोजन। इसमें किसी भी बहुराष्ट्रीय राज्य के अंदर रहने वाली पीड़ित व अल्पसंख्यक राष्ट्रियता तथा जनजातीय समूह एक विशिष्ट राष्ट्रियता अथवा जनसमूह के रूप में मान्यता का अधिकार चाहते हैं।